

CRTI-102/DRTI-102

Application of RTI

Certificate / Diploma in Right to Information
(CRTI/DRTI-17)

1st Semester, Examination 2019

Time : 3 Hours]

Max. Marks : 80

Note : This paper is of Eighty (80) marks divided into two (02) sections A and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र अस्सी (80) अंकों का है जो दो (02) खण्डों क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

SECTION-A/(खण्ड-क)

(Long Answer Type Questions)/(दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न)

Note : Section 'A' contains five (05) long answer type questions of fifteen (15) marks each. Learners are required to answer any three (03) questions only. (3×15=45)

नोट : खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह (15) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल तीन (03) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Whether public has a right to access the relevant information to understand the policy-making process ? Explain.

क्या लोगों के पास नीति बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक सूचना तक पहुँच का अधिकार है? स्पष्ट कीजिए।

2. What do you understand by 'public interest test' ? Discuss in detail.

'जनहित परीक्षण' से आप क्या समझते हैं? विस्तृत वर्णन कीजिए।

3. Describe the procedure for action by the commission in case of the complaint made under the Act.

अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत के मामले में आयोग द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

4. Discuss the composition, powers and functions of central information commission.

केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

5. Explain the various steps to be taken in filing of first appeal.

प्रथम अपील फाइल करने में लिए जाने वाले विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

SECTION-B/(खण्ड-ख)

(Short Answer Type Questions)/(लघु उत्तरों वाले प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of seven (07) marks each. Learners are required to answer any five (05) questions only.

(5×7=35)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए सात (07) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल पाँच (05) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Which section (s) of the RTI Act deal (s) with the grounds for exemption from disclosure of information ?

सूचना अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा/धारायें सूचना के प्रकटीकरण से छुट के आधार से सम्बन्धित हैं?

2. How does the doctrine of severability apply on the R.T.I Act ?

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पृथक्करणीयता का सिद्धान्त कैसे लागू होता है?

3. Whether justification, explanation or interpretation of the information may be asked from Public information officer ?

क्या लोक सूचना अधिकारी से सूचना के औचित्य, स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या के बारे में पूछा जा सकता है?

4. What is the time limit of filing second appeal before the central/state information commission ?

केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील फाइल करने के लिए क्या समय-सीमा है?

5. What are the various penalties under the Act ?

अधिनियम के अन्तर्गत कौन-कौन से विभिन्न दण्ड लगाये जा सकते हैं?

6. How sections 8 and 9 do not affect the promotion of right to information ?

किस प्रकार धारा-8 एवं 9 सूचना अधिकार के प्रचार-प्रसार को प्रभावित नहीं करते हैं?

7. What are the functions of assistant public information officer ?

सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्य क्या हैं?

8. What is the bar on jurisdiction of courts under the Right to information Act ?

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक क्या है?
